न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
द्वितीय सहारनपुर।
CNR UPSP040252552026

मु0अ0सं0 323/2025
अन्तर्गत धारा 60(1) उत्तर प्रदेश उत्पाद–शुल्क/आबकारी अधिनियम
थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

आदेश

16–02–2026

मुकदमा अपराध संख्या 323/2025 अन्तर्गत धारा 60(1) उत्तर प्रदेश उत्पाद–शुल्क/आबकारी अधिनियम थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर के अपराध के सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त **आकाश पुत्र कुलदीप** न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फसाया गया है।

अभियोजन पक्ष की आख्यानुसार अपराध जमानतीय प्रकृति के है।

सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त द्वारा आज ही न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त हो चुका है। आरोपित अपराध जमानतीय प्रकृति है एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रार्थी/अभियुक्त को **20 हजार रुपये** के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के **एक जमानती** दाखिल करने पर दौरान वाद जमानत पर **अवमुक्त किया जाता है।**

प्र0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
सहारनपुर।